



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082025-265677
CG-DL-E-25082025-265677

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3762]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947

No. 3762]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

का.आ. 3867(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020, के नियम 5 के अनुसरण में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत होने के पश्चात्, एतद्वारा अधिसूचित करता है कि आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) को स्वैच्छिक आधार पर, राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा परीक्षाओं के विभिन्न चरणों के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए हां/नहीं या/और ईकेवाईसी अधिप्रमाणन सुविधाओं का उपयोग करके आधार अधिप्रमाणन करने की अनुमति प्रदान की गई है।

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) इस अधिनियम के सभी सुसंगत उपबंधों, इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

[फा. सं. वी. 11025/06/2025-एमईपी]

विनोद कोतवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2025

S.O. 3867(E).— In pursuance of sub clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, (as amended) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health & Family Welfare, having been authorized by the Central Government, hereby notifies that the National Board of Examination in Medical Sciences (NBEMS) is allowed to perform Aadhar authentication, on voluntary basis, for verifying identity of candidates during various stages of national level medical examinations conducted by National Board of Examination in Medical Sciences (NBEMS), using Yes/No or/and eKYC authentication facilities.

National Board of Examination in Medical Sciences (NBEMS) shall adhere to all relevant provisions of the Act, the rules and regulations made thereunder, and directions issued by the Unique Identification Authority of India.

[F. No. V.11025/06/2025-MEP]

VINOD KOTWAL, Addl. Secy.